

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) / सं.प.अ. / 113 / 2022 दिनांक : 10 .09.2022

डॉ. वीनू नागपाल (RJ0673), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक **06** दिनों का संतान प्रवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. नागपाल की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
12.09.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / 42 / 2011 / 6204

दिनांक : 10.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 28115 दिनांक 29.08.2022 के सन्दर्भ में।
- डॉ. वीनू नागपाल (RJ0673), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर।

12.09.2022
सहायक रजिस्ट्रार